हेरिटेज निगम : दुकानों के बाहर डस्टबिन नहीं रखने और गंदगी फैलाने पर 75 हजार रुपए का जुर्माना वसूला*

अस्थाई अतिक्रमण करने पर सतर्कता शाखा ने आठ ट्रक सामान किया जब्त

जयपुर। नगर निगम हेरिटेज की स्वास्थ्य शाखा ने बाजार में गंदगी फैलाने और दुकानों के बाहर दो डस्टबिन नहीं रखने पर कार्रवाई करते हुए 75 हजार रुपए का केरिंग चार्ज वसूल किया है। वहीं, सड़क और बरामदे पर अस्थाई अतिक्रमण करने पर आठ ट्रक सामान जब्त किया है। इस संबंध में हेरिटेज निगम उपायुक्त स्वास्थ्य युगांतर शर्मा ने बताया कि हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश पर बाजारों में डस्टबिन रखने और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार निगम अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे है। इसी के तहत निगम चारों जोन निगम के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक ने बाजारों में जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों के बाहर डस्टबिन नहीं मिलने और गंदगी मिलने पर 75 हजार रुपए का केरिंग चार्ज वसूल किया गया। साथ ही भविष्य में डस्टबिन नहीं रखने और गंदगी फैलाने पर दुकान को सीज करने की चेतावनी भी दी गई।

अस्थाई अतिक्रमण करने पर सतर्कता शाखा ने किया आठ ट्रक सामान जब्त

वहीं, सड़क और बरामदे पर अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ निगम प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। इसी के तहत हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश पर उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सतर्कता शाखा दस्ते ने कार्रवाई करते हुए बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चांदपोल, बंदरी का नासिक, रामगंज आदि स्थानों पर से अस्थाई अतिक्रमण को हटाया और आठ ट्रक सामान जब्त किया है।

कल्याण जी का रास्ता
चॉट भण्डार
50 वर्षों से आपकी सेवा में
दाल-पकवान
30